14.05.2018	**राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0) आर.सी.एम.एस 2017/00221 अपील संख्या 111/2017 (223) उनवानः– लाला राम बनाम भगवान सिंह	
	बकुलाय फरीकेन उप0। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलार्थी की बहस है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे कायमी तनकीयात हेतु नियत था। जिसे कैम्प में ले जाकर पी.डी. जारी कर दी। अतः अपील विधिवत् सुनवाई हेतु रिमांड किया जावे। बचाव मे वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया की प्रत्यर्थी का दावा बटवारे का था जिसमें रिकोर्ड के आधार पर पी.डी. जारी की गई है। बहस उभयपक्ष एवं रिकोर्ड से अपीलार्थी के कथन की पुष्टि होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुऐ बाद कायमी तनकीयात एवं साक्ष्य प्रकरण निर्णीत किया जावे। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। उभयपक्ष 15.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।	